कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी– सोनभद्र

पत्रांक– 1768 /अग्रिम निविदा/बॉस बिक्री /दिनांक 09/02/2022

सेवा में, स्पीड पोस्ट / ई-मेल

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी/ लौगिंग अधिकारी
उत्तर प्रदेश वन निगम,
झाँसी/नजीबाबाद (सहारनपुर)/वाराणसी /प्रयागराज ।

विषयः– बॉस बिक्री की अग्रिम निविदा शर्तो, बिक्री सूची एवं निविदा प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

दिनांक 24.02.2022 को बॉस की अग्रिम बिक्री हेतु आमंत्रित निविदा की बिक्री सूची निविदा प्रपत्र तथा निविदा शर्तो की एक प्रति संलग्न कर आपको भेजी जा रही है। आवश्यकतानुसार आप इसकी छाया प्रतियॉ अपने स्तर से कराकर निर्धारित मूल्य वसूल कर केताओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। की बिक्री सूची निविदा प्रपत्र तथा निविदा शर्तो की एक प्रति आपके ई–मेल पर भी भेज दी गई है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर0एस0 यादव)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक

पत्रांक– 1768 /तद्‌दिनांकित–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार बिक्री सूची की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महाप्रबन्धक (विपणन) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

3- विक्रय अधिकारी सिस्टम, उ०प्र० वन निगम लखनऊ को संलग्नक प्रपत्रों को वन निगम के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
संलग्नक- उक्त।

(आर0एस0 यादव)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक

OC

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश वन निगम,दुद्धी–सोनभद्र

पत्रांक– 1762 / दिनांक 07.02.2022

सेवामें,

एम0एम0 एडवटाइजिंग,
वाराणसी।

(संशोधित)

विषय– बांस की अग्रिम बिकी निविदा सूचंना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को समाचार पत्र दैनिक जागरण– इलाहाबाद,व वाराणसी संस्करण एवं अमर उजाला के – सहारनपुर , बरेली तथा झाँसी संस्करण में दिनांक 08.02.2022 अथवा 09.02.2022 को किसी एक तिथि में कम स्थान में केवल एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त विज्ञापन विल सरकारी विभागो हेतु निर्धारित दरो पर तैयार कर प्रकाशित सामाग्री की प्रति सहित दो प्रतियो में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकाशित समाचार पत्र की एक – एक प्रति पुष्टि हेतु तुरन्त इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें–

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश वन निगम,दुद्धी–सोनभद

बॉस की अग्रिम बिक्री हेतु निविदा सूचना –निविदा तिथि 24.02.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0 प्र0 वन निगम के दुद्धी विक्रय प्रभाग के अर्न्तगत वर्ष 2021–22 में ओबरा वन प्रभाग से उत्पादित, मारकुन्डी डिपो में भंडारित होने वाले बिकी हेतु विभिन्न किस्म के अवशेष बांस 332940 नग की बिकी अग्रिम निविदा के द्वारा निविदा की शर्तो के अनुसार दिनांक 24.02.2022 को निविदायें, कार्यालय– प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी, दुद्धी, वाराणसी, झॉसी एवं नजीबाबाद (सहारनपुर) एवं लौगिंग अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालयो में अपरान्ह 3.00 वजे तक आमन्त्रित की जाती है जो उसी दिन उन्ही कार्यालयो में अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी । दुद्धी विक्रय प्रभाग के बॉस की अग्रिम निविदा उक्त किसी भी कर्यालय में मुहर बन्द लिफाफा द्वारा निविदा पेटी में अथवा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से दी जा सकती है, परन्तु निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाले निविदाओ पर विचार नहीं किया जायेगा । उक्त अग्रिम निविदा से सम्बन्धित विकी शर्ते व बिकी सूची एवं निविदा फार्म दिनांक 15.02.2022 से इन्ही कार्यालयो से किसी भी कार्य दिवस में प्रति निविदा फार्म मूल्य रु0 100.00 (रुपये एक सौ मात्र) जमा कर प्राप्त की जा सकती है। उक्त अग्रिम निविदा सूचना, अग्रिम निविदा की शर्ते, बिकी सूची एवं निविदा फार्म उ0 प्र0 वन निगम की वेवसाइड www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध रहेगी। इच्छुक निविदादाता वेवसाइड पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र का प्रयोग कर सकते है, परन्तु इसके लिए उन्हे अपने निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100.00 (एक सौ रू0 मात्र) निविदा प्रपत्र शुल्क, जो पोस्टल आर्डर/डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रभागीय विकय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, दुद्धी के पक्ष में बना हो दुद्धी स्थान पर देय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,दुद्धी

भवदीय

(आर0एस0यादव)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक

पत्रांक 1762 /बांस/ अग्रिम बिकी/21–22 तदनांकित

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम, लखनऊ।

2– महा प्रबन्धक(विपणन) उ0 प्र0 वन निगम, लखनऊको उनके पत्रांक एम 9562 /बांस बिकी/ अग्रिम निविदा/2021–22 दिनांक 04.02.2022 के कम में।

3– महा प्रबन्धक(पूर्वी) उ0 प्र0 वन निगम, इलाहाबाद।

4– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, इलाहाबाद ।

5– प्र0लौ0प्र0 मिर्जापुर, रेनुकूट, वाराणसी, कर्वी प्रयागराज।

6– डिपो अधिकारी, उ0 प्र0 वन निगम, रार्बटसगंज, मारकुन्डी को प्रचार प्रसार करने हेतु।

7– प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/ विक्रय अधिकारी, उ0 प्र0 वन निगम, सहारनपुर झॉसी व वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार दिनांक 24.02.2022 के अग्रिम विकी निविदा में निविदाये प्राप्त कर विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

8– लौगिंग अधिकारी उ0प्र0 वन निगम, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार दिनांक 24.02.2022 के

८५४१ - ५५८

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अग्रिम विकी निविदा में निविदाये प्राप्त कर विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

9– निम्नांकित बॉस केतागण को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ एवं अग्रिम विकी निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित।

1. मे0 नरेन्द्र सिंह, चन्डी तिराहा, बाईपास रोड, रावर्टसगंज।
2. श्री हाकिम चन्द्र जायसवाल, पिपरी रोड रावर्टसगंज।
3. श्री धरम चन्द्र जायसवाल, पिपरी रोड़ रावर्टसगंज।.
4. श्री मूल चन्द्र गुप्ता, गांधी नगर, महोबा ।
5. श्री गोस्वामी टिम्बर, गांधी नगर महोबा।
6. श्री प्रमोद कुमार, गांधी नगर महोबा ।
7. श्री सुशील कुमार, महेन्द्र कुमार सरकुलर रोड़, हनुमान धानी चौक,भिवानी, हरियाणा।
8. श्री बिनोद कुमार पाण्डेय, मुगलसराय रोड, चकियॉ, चन्दौली ।
9. मे0 रफीउल्ला टिम्बर मर्चेन्ट, तिलहर, शाहजंहापुर ।
10. श्री अजय कुमार टन्डन, जंगी रोड, मिर्जापुर।
11. श्री राम सनेही पकरी माइनर के बगल में राजा बगीचा के सामने बाईपास रोड, रावर्टसगंज।
12. सौरभ ट्रेडिंग कं0, भरकवाह, पो0 करमा, रार्बटसगंज, सोनभद्र।

(आर0एस0यादव)
प्रभागीय बिकय प्रबन्धक,दुद्धी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

दुद्धी विक्रय प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में प्राप्त होने वाले बॉस की अग्रिम विकी हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

1. उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद क्षेत्र के दुद्धी विक्रय प्रभाग में प्राप्त बॉस जो मारकुन्डी डिपो में भण्डारित किया जायेगा, की अग्रिम विकी हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक 24.02.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी, झाँसी, सहारनपुर, (नजीवाबाद) एवं वाराणसी तथा लौगिंग अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज के कार्यालय में आमंत्रित की गयी है जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
2. मुहरबन्द निविदायें व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि को 10.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक निविदा पेटी में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी, झाँसी, सहारनपुर (नजीबाबाद), तथा विक्रय अधिकारी, वाराणसी एवं लौगिंग अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद के कार्यालय की निविदा पेटी में दी जायेगी। निविदा रजिस्टर्ड डाक अथवा कोरियर से भी भेजी जा सकती है। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नही किया जायेगा । निविदा लिफाफे पर "बॉस विकी हेतु अग्रिम निविदा" लिखा होना चाहिए
3. निविदा फार्म का मूल्य 100.00 (जिसमें विक्रय सूची व विकी शर्ते भी है) प्रति सेट निर्धारित किया गया है, जो उपरोक्त कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 15.02.2022 से निविदा की निर्धारित तिथि तक प्राप्त की जा सकती है । बिकी सूची व निविदा शर्ते एवं निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता वेबसाईट पर उपलब्ध टेण्डर फार्म का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु इसके लिये उन्हें अपने टेण्डर फार्म के साथ सौ रूपये का निविदा फार्म शुल्क जो पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी के पक्ष में हो तथा दुद्धी पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अलग–अलग डिपो के लिए अलग–अलग किस्म के बॉस की निविदा अलग–अलग निर्धारित निविदा फार्म में किस्मवार दी जायेगी, जिसमें बॉस की किस्म व मात्रा का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। निविदादाता अपनी निविदा में दर प्रति नग (अंकों व शब्दों) में देगा । यदि निविदा प्रपत्र भरते समय कोई संशोधन किया जाता है तो उसे काट कर स्पष्ट रूप से दुबारा लिखना होगा तथा ऐसे संशोधन पर निविदादाता को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होगा। यदि प्रस्तावित निविदा दर अंकों एवं शब्दों में भिन्न हो तो उच्चतम दर ही वैध दर मानी जायेगी।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा में दी गयी मात्रा के विक्रय मूल्य का 05 प्रतिशत धनराशि बन्धक धनराशि एवं इस पर 5 प्रतिशत जी0एस0टी0सहित के रूप में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जो दुद्धी स्थान पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा । किसी अन्य रूप से प्राप्त बन्धक धनराशि को स्वीकार करने या न करने का अधिकार उ0प्र0 वन निगम का होगा।
6. निविदा की स्वीकृति की सूचना सफल निविदादाताओं को सामान्यतया संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र/पत्र वाहक द्वारा केता को निविदा प्रपत्र पर उल्लिखित पते पर निविदा खुलने की तिथि से 30 दिन के अन्दर दी जायेगी तथा निविदा की स्वीकृति की सूचना प्रभागीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया जायेगा । उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल निविदादाताओं को निविदा की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नही होता है तो उन्हें चाहिए कि वे संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कार्यालय से सम्पर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। यदि वे ऐसा नही करते है तो स्वीकृति/अस्वीकृति व अन्य जैसी स्थिति हो की सूचना निविदादाता को प्राप्त हुई मानी जायेगी। किन्ही कारणों से उक्त अवधि में यदि उ0प्र0 वन निगम निविदा की स्वीकृति देने में असमर्थ होता है तो उक्त 30 दिन की अवधि में उतनी अवधि और जुड़ जायेगी, जितने दिन वन निगम निर्णय लेने में असमर्थ रहा।
7. सफल निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गयी उत्तर प्रदेश वन निगम की चिट्ठियाँ उन्हें प्राप्त समझी जायेगी। यदि निविदादाता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहे तो ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना होगा। उक्त पते पर भी भेजे गये सभी रजिस्टर्ड पत्र निविदादाता को प्राप्त हुए समझे जायेंगे। निविदा प्रपत्र में उल्लिखित पत्राचार के पते में कोई परिवर्तन हो तो निविदादाता रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उसकी सूचना संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को देंगे ।
8. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना हाथ से देने पर सूचना देने की तिथि से 7 दिन के अन्दर तथा रजिस्ट्री से सूचना भेजने की दशा में भेजने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी के कार्यालय में क्रय की जाने वाली मात्रा के विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत जमानत एवं इस पर 5 प्रतिशत जी0 एस0 टी0 सहित जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें पूर्व में जमा

Scanned with CamScanner

20. किसी भी समय केता को लाट के विरूद्ध जमा विक्रय मूल्य की धनराशि से अधिक मूल्य की निकासी नही दी जायेगी । समस्त जमानत धनराशि का समायोजन केता को अन्तिम तिथि को प्राप्त करायी गयी विक्रय सूची में दर्शित लाटों के निकासी में किया जायेगा ।
21. विक्रय मूल्य एवं समस्त देय करों का भुगतान संबंधित डिपो अधिकारी के कार्यालय में करना होगा। मूल्य भुगतान की प्राप्ति रसीद वन निगम से संबंधित डिपो अधिकारी/सहायक लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी हुई ही बैध मानी जायेगी ।
22. केता को निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही दी जायेगी । सार्वजनिक अवकाश के दिनों में वन निगम निकासी देने के लिए बाध्य नही होगा।
23. शर्त संख्या 15 एवं 19 के अनुसार यदि केता निर्धारित समय के अन्दर लाटों का विक्रय मूल्य एवं समस्त देय धनराशि का भुगतान कर देता है किन्तु शर्त संख्या 18 में निर्धारित अवधि के अन्दर लाट की निकासी नही कर पाता है तो अगले 15 दिनों तक शेष माल के मूल्य पर 25 पैसा प्रति सैकड़ा प्रति दिन के दर से प्लाट किराया जमा करते हुए निकासी का समय क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद द्वारा अपने विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। यदि इस अवधि में केता सम्पूर्ण माल की निकासी नही करता है तो –
    (क) डिपो में लाट का अवशेष समस्त माल तथा लाट के अवषेष माल के विरूद्ध केता की जमा समस्त धनराशि स्वतः जब्त हो जायेगी ।
    (ख) जब्त माल का निस्तारण किसी भी माध्यम से वन निगम करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसकी कोई सूचना केता को देने का उत्तरदायित्व वन निगम का नही होगा ।
24. शर्त संख्या 19 व 23 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा प्लाट किराया की दरों को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम को विशेष परिस्थितियों में जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार होगा ।
25. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान समय में बॉस विक्री पर लगाये गये जी0 एस0 टी0 की वसूली केता से की जायेगी । यदि कर अधिनियम में करों की दरों में संशोधन किया जाता है तो संशोधित दर से देय कर का भुगतान केता को करना पड़ेगा ।
26. भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बॉस की विकी पर नियमानुसार केता से आयकर की वसूली भी की जायेगी व अन्य किसी प्रकार का कर शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी वसूली भी संबंधित केता से की जायेगी ।
27. निकासी से पूर्व निविदादाता को अपने पैन नम्बर की नोटरी से प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
28. किसी भी समय यदि निगम के संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा बिकी निरस्त कर दी जायेगी। पुनः बिकी करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा।
29. राज्य बारकौंसिल में पंजीकृत किसी अधिवक्ता को निविदा/ठेका अथवा पट्टा की अनुमति अधिवक्ता अधिनियम में नहीं है। अतः कोई अधिवक्ता राज्य बारकौंसिल में पंजीकृत है, निविदा नहीं दे सकता है। यदि किसी समय निगम के संज्ञान में यह आता है कि निविदादाता राज्यबार कौंसिल में पंजीकृत है तो उसका अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा बिकी निरस्त कर दी जायेगी। पुनः बिकी हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
30. शर्तो के पालन संबंधी विवाद में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम प्रयागराज मध्यस्थ (आर्बीट्रेटर) होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा व उभय पक्षों को मान्य होगा।
31. उक्त के अतिरिक्त बॉस एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम– 1927 भी इस पर लागू होंगे, जिसके सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व केता का होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम

Scanned with CamScanner

बन्धक धनराशि समायोजित की जा सकती है। निर्धारित तिथि तक जमानत न जमा करने की दशा में विक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं जमा बन्धक धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी तथा बॉस की पुनः विक्री करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा। समस्त जमानत धनराशि अन्तिम निकासी के समय समायोजित की जायेगी। जमानत जमा करने के उपरान्त प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा निकासी आदेश जारी किया जायेगा। देय जमानत की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हुआ बैंक ड्राफ्ट जो इलाहाबाद स्थल पर देय हो, स्वीकार किया जायेगा।

9. उच्चतम निविदा को स्वीकार करना आवश्यक नही है तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उत्तर प्रदेश वन निगम को होगा।

10. सशर्त निविदा स्वीकार करने या न करने का अधिकार उत्तर प्रदेश वन निगम को होगा।

11. यदि एक ही किस्म में दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दिया गया मूल्य उच्चतम एवं बराबर हो तो ऐसी स्थिति में किस्म की मात्रा को बराबर भागों में बॉटते हुये स्वीकृत की जायेगी।

12. स्वीकृत निविदा द्वारा की जाने वाली बॉस की आपूर्ति हेतु अधिकतम अवधि 30.06.2022 होगी, किन्तु उपलब्धता के अनुसार त्वरित गति से आपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

13. स्वीकृति निविदादाताओं को राबर्टसगंज डिपो में प्रत्येक माह की 6, 16, 26 तारीख मारकुन्डी डिपो में प्रत्येक माह की 2, 11, 22 तारीख को डिपो में उपलब्ध बॉस की लाटवार, स्टैकवार, किस्मवार सूची उपलब्ध करायी जायेगी। सामान्यतः एक ट्रक लोड के लाट बनाये जायेंगे, जिसे प्राप्त करने हेतु निविदादाता अथवा उसके नामित प्रतिनिधि को उपरोक्त निर्धारित तिथि पर डिपो से सम्पर्क कर सूची प्राप्त करना होगा। डिपो में उपलब्ध बॉस की लाटवार, स्टैकवार, किस्मवार सूची डिपो के सूचना पट्ट पर भी चस्पा कर दिया जायेगा। सूची डिपो से प्राप्त करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि निविदादाता द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो विक्री स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी । जंगल से बॉस के ढुलान के उपरान्त डिपो में अन्तिम बॉस की उपलब्धता की सूची दिनांक **26.04.2022** तक प्राप्त करा दी जायेगी ।

14. निविदा में रखी किसी भी लाट की किसी किस्म की सम्पूर्ण मात्रा के लिए निविदा देना अनिवार्य होगा। किसी किस्म की आंशिक मात्रा के लिये निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। वास्तविक उत्पादन निविदा की बिक्री सूची में अंकित मात्रा से कम या अधिक हो सकता है, परन्तु क्रेता को वास्तविक उत्पादन मात्रा की आपूर्ति अनिवार्य रूप से लेना होगा।

15. डिपो में उपलब्ध बॉस की सूची प्राप्त होने की तिथि को छोड़कर 21 दिन के अन्दर प्राप्त विक्रय सूची में दर्शित लाट का कुल विक्रय मूल्य (माल उठाने से पहले) क्रेता को संबंधित डिपो कार्यालय में जमा करना होगा। यह भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बना बैंक ड्राफ्ट जो इलाहाबाद स्थान पर देय हो द्वारा किया जायेगा । बैंक ड्राफ्ट पर उल्लिखित तिथि से 3 दिन बाद भी बैंक ड्राफ्ट वन निगम के कार्यालय में प्राप्त होता है तो उसी तिथि को प्राप्त माना जायेगा जो तिथि ड्राफ्ट पर उल्लिखित है। शासन द्वारा निर्धारित करों (जी0 एस0 टी0,आयकर, मन्डी शुल्क व अन्य कर) का भुगतान प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी के पक्ष में बने तथा दुद्धी स्थान पर देय हो, के रूप में साथ ही जमा करना होगा।

16. यदि क्रेता द्वारा डिपो में उपलब्ध बॉस की सूची प्राप्ति के तिथि को छोड़कर 07 दिन के अन्दर प्राप्त विक्रय सूची में दर्शित लाट के कुल विक्रय मूल्य तथा करों का भुगतान कर देता है तो उसे विक्रय सूची में अंकित लाट के कुल मूल्य का एक प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

17. क्रेता को लाट के बॉस की आंशिक या पूर्ण निकासी केवल लाट के कुल विक्रय मूल्य एवं अन्य करों का भुगतान कर देने के बाद ही दी जायेगी ।

18. क्रेता को लाट की निकासी डिपो में उपलब्ध बॉस की सूची प्राप्त होने की तिथि को छोड़कर 45 दिनों के अन्दर लेना अनिवार्य होगा ।

19. शर्त संख्या 15 के अनुसार यदि क्रेता प्राप्त करायी गयी विक्रय सूची में दर्शित लाटों का विक्रय मूल्य निर्धारित अवधि में जमा नही करता है तो उसे डिपो में उपलब्ध करायी गयी सूची में दर्शित लाट के विक्रय मूल्य पर 25 पैसा प्रति सैकड़ा प्रति दिन के दर से विलम्ब शुल्क सहित विक्रय सूची प्राप्त करने की तिथि से प्राप्त तिथि को छोड़ंकर 28 दिन के अन्दर जमा कर सकता है। यदि उक्त अवधि के अन्दर भी क्रेता विक्रय मूल्य जमा नही करता है तो बॉस की विक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं क्रेता को प्राप्त करायी गयी विक्रय सूची में दर्शित लाटों के मूल्य की जमा जमानत एवं लाट में जमा अन्य समस्त धनराशि जब्त हो जायेगी तथा वन निगम जब्त हुई लाट का निस्तारण किसी भी माध्यम से करने के लिये स्वतंत्र होगा, इसकी सूचना क्रेता को देने का उत्तरदायित्व वन निगम का नही होगा।

Scanned with CamScanner

बॉस की अग्रिम बिक्री हेतु निविदा प्रपत्र

दुद्धी विक्रय प्रभागः

अग्रिम निविदा तिथि

विक्रय प्रभाग का नाम	डिपो का नाम	लाट संख्या/बर्ष	बॉस की किस्म	विक्रय सूची में अंकित मात्रा (नग में)	क्रेता/फर्म द्वारा दी जाने वाली दर रू0 प्रति नग	
					अंको में	शब्दो में

संलग्नकः— ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम धनराशि

मैंने निविदा से सम्बन्धित विक्रय सूची देख ली है तथा बिक्री शर्तों को पढ़ लिया है, इन शर्तों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

क्रेता/फर्म का नाम पत्राचार का पता क्रेता/फर्म के हस्ताक्षर

स्थायी पता

कार्यालय प्रयोगार्थ

निविदा प्रपत्र रसीद संख्या दिनांक द्वारा रू0 100/— प्राप्त कर बेचा गया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश वन निगम, विक्रय प्रभाग दुद्धी ,
डिपो का नाम – मारकुन्डी

दिनांक 24.02.2022 को बॉस विक्री हेतु आमंत्रित अग्रिम निविदा की विक्रय सूची ।

लौगिंग की लाट सं0 व वर्ष	सम्बन्धित प्रभाग का नाम	अनुमानित उत्पादन (नग में)							
		पाटी	लाठी–1	लाठी–2	टेरा	बरही	सटका	सरबहरा	योग
2/2021-22	ओबरा	6000	10000	6500	1200	1300	7500	1400	33900
3/2021-22	ओबरा	2800	5100	2600	420	400	3500	6420	21240
4/2021-22	ओबरा	800	1400	600	60	80	1200	80	4220
5/2021-22	ओबरा	600	1000	500	40	80	900	80	3200
6/2021-22	ओबरा	15200	24000	6800	1600	1600	18000	2400	69600
7/2021-22	ओबरा	2320	4000	1740	200	6200	3440	200	18100
8/2021-22	ओबरा	480	800	160	20	40	560	40	2100
9/2021-22	ओबरा	480	700	260	20	40	560	40	2100
10/2021-22	ओबरा	0	0	0	0	0	12320	2200	14520
11/2021-22	ओबरा	480	600	360	0	20	560	40	2060
12/2021-22	ओबरा	0	0	0	0	0	39200	1000	40200
13/2021-22	ओबरा	14400	22000	6800	3000	1600	16800	3000	67600
14/2021-22	ओबरा	6000	10000	5000	600	500	9000	1200	32300
15/2021-22	ओबरा	4800	8000	1600	400	400	5600	1000	21800
योग		54360	87600	32920	7560	12260	119140	19100	332940

Divisional Sales Manager
U. P. Forest Corporation
Duddhi-Sonbhadra

Scanned with CamScanner